

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी शामली वन प्रभाग, शामली।

पत्रांक :- 122 / 14-1 (FP/UP/Others/ 121963/2021) शामली दिनांक, 23-07-2021।

सेवा में,

श्री सोमिल गर्ग, एडिशन जनरल मैनेजर,
मै0 इन्द्रप्रस्थ गैस लि0, आई0जी0एल0 भवन
प्लॉट नं0-4 कम्युनिटी सेंटर, आर0के0पुरम सैक्टर-9
नई दिल्ली,-110022

विषय-

जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चौक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेज 98.545 से 118.345) कुल लम्बाई-19.500 में 12" डायामेटर भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में।
(प्रस्ताव संख्या FP/UP/Others/ 121963/2021) के संबंध में।

संदर्भ:-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-पी0-113/81-2-2021-800 (97) / 2021 दिनांक-14.07.2021।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक-14.07.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से जनपद शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा शिव चौक शामली से थानाभवन तिराहा, (कि0मी0 चैनेज 98.545 से 118.345) कुल लम्बाई-19.500 में 12" व 8" डायामेटर भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु 0.975 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक-14.07.2021 में उल्लिखित शर्त 09 के अनुपालन में वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि का आंकलन निम्नानुसार है-

1- संरक्षित वन का शुद्धवर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि					
शर्त संख्या-9	शामली वन प्रभाग	0.975 है0	626000.00 प्रति है0	610350.00	प्रयोक्ता एजेंन्सी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
		योग-		610350.00	

उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 14.07.2021 में उल्लेखित शर्त 18(1) के अनुसार सी0एन0जी0/गैस पाईप लाईन बिछाने वाली ऐसी कंपनियां जो लगातार गैस पाईप लाईन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अर्धशहरीय से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी। उपरोक्त शर्त संख्या-18(1) के क्रम में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा अपने पत्रांक IGL/PNG/Steel/Shamli/137 दिनांक 27.07.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा 20 किमी0 तीन लाईनों में वृक्षारोपण गाजियाबाद में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा मोहननगर चौराहे से महामाया स्टेशन तक तथा हापुड चुंगी से डासना पुलिस चौक तक गैस पाईप लाईन डालने हेतु 0.872 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति परियोजना में पूर्व में ही किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिलेख मय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजियाबाद का पत्रांक 74/22-1 दिनांक 03.07.2010 का डिमाण्ड नोट जिसमें उक्त 20 किमी0 03 लाईनों में वृक्षारोपण की धनराशि की मांग की गयी है, भी डिमाण्ड नोट के साथ सलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार शर्त संख्या-18 के क्रम में पुनः धनराशि वांछित नहीं है, क्योंकि शर्त के अनुसार इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाईनों में वृक्षारोपण की शर्त को पूर्ण की जा चुकी है।

अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया सैद्धान्तिक में उल्लिखित शर्त संख्या-9 के अनुपालन में 0.975 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी) की धनराशि रुपये-610350.00 (रु0 छः लाख दस हजार तीन सौ पचास मात्र), प्रयोक्ता एजेंसी के ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से कैम्पा फण्ड में नियमानुसार चालान जनरेट करते हुए, उक्त धनराशि जमा कराने का कष्ट करें, तथा साथ ही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 14.07.2021 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या-1 से 20 तक की अनुपालन आख्या/प्रमाणपत्र/वचनबद्धताएँ इस कार्यालय को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली।

संख्या 122 / 14-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,(वन संरक्षण)उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2-वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग
शामली।